फर्द अहकाम

नियम (26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

तहसीलदार बाड़मेर बनाम ....राजस्थान सरकार..

किस्म मुकदमा – रास्तो का निराकरण, 136 मुकदमा संख्या 243 / वर्ष 2021

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
07-12-21	राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6)विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं प. 3(17)राज–6 / 2021पार्ट / 91 दिनांक 30.09.2021 की पालना में सार्वजनिक रास्ता राजकीय भूमि / निजी खातेदारी की भूमि में मौके पर स्थाई रूप में चालू (कदीमी) परन्तु राजस्व अभिलेख में किसी रूप में दर्ज नही है को राजस्व अभिलेख में दर्ज करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर के शिविर ग्राम पंचायत वांकलपुरा दिनांक 23.11.2021 के द्वारा मौजा महाबार पीथल में निम्नानुसार भूमि में स्थाई रास्ते के रूप में खातेदार के खाते में राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु प्राप्त हुआ है:–	

क्र. स.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	कुल रकबा (बीघा में)	रास्ते की लम्बाई –चौड़ाई (फीट में)	रास्ते में प्रभावित रकबा (बीघा में)
1	2	3	4	5	6
1	ग्राम पंचायत मुरटाला गाला	2493 / 522 किस्म गै.मु. औरण	215.03 बीघा	1122 x 30	1.19 बीघा
2	राजस्थान सरकार	2461 / 526 किस्म बारानी सोयम	2.00 बीघा	1161 x 30	2.00 बीघा
	योग:–	02 खसरान्	–	2283 x 30	03.19

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा आवेदन में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि आवेदन में अंकित खसरा में ग्राम महाबार गांव से स्वामी अड़गड़ानन्द आश्रम तक जा रहा है जिसकी लम्बाई 0.5 किलोमीटर है, जिस पर डामर सड़क बनी हुई हे। (सलंग्न नक्शे में अंकित बिन्दु संख्या A से B) यह रास्ता सरकारी भूमि गैर मुमकिन औरण में से होकर निकल रहा है जिसकी जमाबंदी व नक्शा ट्रेस की प्रतिलिपि सलंग्न है। संलग्न नक्शे में चर रहे रास्ते को बरंग लाल दर्शाया गया है। यह रास्ता बारहमासी है। लिहाजा राजस्व रेकर्ड में सम्बधित पक्षकारान (राजस्थान सरकार) के खाते में गै.मु. रास्ता के रूप में अंकन करावें।

अतः तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा मौजा महाबार पीथल पटवार मण्डल महाबार तहसील एवं जिला बाड़मेर की उपरोक्त वर्णित भूमि स्थाई रास्ते के रूप में जो सलंग्न नक्शा में लाल रंग से दर्शाई गई है को सम्बधित खातेदार (राजस्थान सरकार) के खाते में राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन रास्ता नियमानुसार दर्ज कर नक्शा में तरमीम करावें। नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। आदेश मजमे आम मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर